रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 15, 1984/फाल्गुन 25, 1905
No. 10] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 15, 1984/PHALGUNA 25, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1984

आ. अ. 22(अ) :—निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम, 12 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उस अवधि को जिसके अन्दर जम्मू-कश्मीर राज्य में 4-लद्दाख संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के 44-कार्गिल सभा खण्ड को छोड़कर, सभी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए कोई दावा या उसमें की किसी प्रविष्टि

पर कोई आक्षेप दाखिल किया जा सकेगा, तारीख 31 मार्च, 1984 (शनिवार), जिसमें यह तारीख शामिल है, तक और आगे बढ़ाता है ।

[सं. 23/ज.क./83(14)]

आदेश से,

आर. पी. भल्ला, सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 1984

O. N. 22(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to rule 12 of the Registration of the Electors Rules, 1960, the Election Commission hereby further extends upto and including 31st March, 1984 (Saturday) as the period within which a claim for the inclusion of a name or an objection to an entry in the Electoral Rolls of all the parliamentary constituencies excluding 44-Kargil assembly segment of 4-Ladakh parliamentary constituency, in the State of Jammu & Kashmir, shall be lodged.

[No. 23/J&K/83(14)]

By order,

R. P. BHALLA, Secy.
Election Commission of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984